feasibility of obtaining external financial assistance to meet the cost of the projected expansion of the terrestrial network of Doordarshan's DD-3 Channel in order to enable a larger segment of Indian viewers gain access to three, free to air, terrestrial channels of Doordarshan offering a wide variety of programmes. The specific modalities in this regard are yet to be decided.

**दूरदर्शन का बकाया प्रसारण शुल्क**

397. **श्री रामगोपाल यादव:**
**श्री ईश दत्त यादव:**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का विभिन्न व्यावसायिक एजेंसियों पर प्रसारण शुल्क बकाया है; यदि हां, तो ऐसे शुल्क की कुल कितनी धनराशि बकाया है और किन-किन एजेंसियों पर अलग-अलग कितना प्रसारण शुल्क बकाया है;

(ख) क्या दूरदर्शन ने इन शुल्कों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो एजेंसी-वार कितनी-कितनी राशि वसूली गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें काली सूची में घोषित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार संबंधित एजेंसियों से प्रसारण शुल्क की कुल बकाया धनराशि वसूल करने के लिये कोई तत्काल/प्रभावी कार्यवाही करेगी, यदि हां, तो उक्त एजेंसियों से उपरोक्त प्रसारण शुल्क कब तक वसूल कर लिया जाएगा?

**नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**दूरदर्शन के पास पंजीकृत वाणिज्यिक एजेंसियां**

398. **श्री ईश दत्त यादव:**
**श्री रामगोपाल यादव:**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन के पास पंजीकृत वाणिज्यिक एजेंसियों की संख्या कितनी है और उनके पंजीकरण को शासित करने वाले आधार/नियम क्या-क्या हैं तथा उनको आबंटित समय की श्रेणी कौन सी है;

(ख) दूरदर्शन द्वारा धारावाहिकों के लिये प्रसारण शुल्क किस आधार पर वसूल किया जाता है और उक्त शुल्क किस रूप में वसूल किया जाता है;

(ग) क्या दूरदर्शन पर प्रसारण समय आबंटित करने में और उनसे शुल्क वसूल किए जाने में किन्हीं नियमों का पालन किया जाता है; यदि हां, तो एजेंसियों की तरफ प्रसारण शुल्क बकाया होने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम):** (क) वर्तमान में, दूरदर्शन में लगभग 350 एजेंसियां पंजीकृत हैं। उनके पंजीकरण/प्रत्यायन को विनियंत्रित करने वाले विनियमन विवरण में दिए गए हैं। (**नीचे देखिए**)

(ख) वाणिज्यिक दर कार्ड के आधार पर प्रसारण शुल्क लिया जाता है जो समय स्लॉट एवं चैनल पर आधारित है। विज्ञापन एजेंसियों द्वारा ठेके प्राप्त किए जाते हैं और प्रत्यायन/पंजीकरण नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। चूंकि दूरदर्शन का 95% वाणिज्यिक व्यापार प्रत्यायन एजेंसियों के जरिए किया जा रहा है जो 60 दिन की साख अवधि की पात्र हैं इसलिए एजेंसियों की ओर हमेशा कुछ देय राशि बकाया रहेंगी इन देय राशि की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। दूरदर्शन देय राशियों की वसूली के लिए बैंक गारन्टी को भुनाने, पथ भ्रष्ट एजेंसियों के अप्रत्यायन, मध्यस्थता एवं कानूनी कार्रवाई आदि सहित संविदात्मक प्रावधानों का सहारा लेता है।

## विवरण

**दूरदर्शन में विज्ञापन एजेंसियों के पंजीकरण एवं प्रत्यायन के लिए विनियमन।**

1. निम्नलिखित विनियमन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:-

2. परिभाषाएं

(i) सरकार से तात्पर्य भारत सरकार

(ii) महानिदेशक से तात्पर्य महानिदेशक: दूरदर्शन अथवा उनके द्वारा उचित रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी।

(iii) विज्ञापन से तात्पर्य विज्ञापन सहित कोई व्यक्ति अथवा संस्था जिसने दूरदर्शन द्वारा प्रसारण के लिए विज्ञापन का प्रस्ताव किया है।

(iv) विज्ञापन एजेंसी से तात्पर्य कोई संस्था, जो दूरदर्शन में पंजीकृत अथवा प्रत्यापन किया जाता है।

3. पंजीकरण एवं प्रत्यायन के लिए पात्रता

3.1 पंजीकरण

विज्ञापन एजेंसियां जो दूरदर्शन के जरिए विज्ञापन में हितबद्ध/संबद्ध हैं, पंजीकरण के लिए पात्र होंगी किन्तु शर्त यह है कि उसकी सदभाविकता के बारे में महानिदेशक को समाधान हो जाता है।

3.2 तथापि, भारतीय स्टेट बैंक के लेखा के पक्ष में 5,000/- रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट: दूरदर्शन को प्रक्रिया शुल्क के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए।

पंजीकरण दर्जा प्रदान करने संबंधी सूचना की प्राप्ति पर, एजेंसी को कारोबार प्रस्तुत करने से पूर्व 25,000 रुपए की बैंक गारंटी देनी चाहिए और 15% कमीशन हेतु पात्र हों।

3.3 प्रत्यायन

(क) केवल ऐसी पंजीकृत एजेंसियों का प्रत्यायन के लिए विचार किया जाएगा जिनके पास:—

(i) जिनका वार्षिक व्यवसाय 20 लाख रुपए और उससे अधिक है।

(ii) जिनकी संदत्त पूंजी, पब्लिक लिमिटेड लायबिल्टी कम्पनियों के मामले में 1 लाख रुपए और प्राइवेट लिमिटेड और स्वामित्व अथवा साझेदारी प्रतिष्ठानों के मामले में 50,000 रुपए है।

(iii) जो प्रत्यायन मंजूर किए जाने के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के वर्ष के लिए आयकर रिटर्न फाइल किए जाने का समुचित आयकर प्राधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करती है और नवीनतम निर्धारण वर्ष की बाबत आयकर प्रमाणपत्र भी जमा करती है।

(iv) परन्तु दूरदर्शन पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष के अन्दर 25 लाख रुपए एवं उससे अधिक के न्यूनतम कारोबार के प्रत्यायन दर्जे के लिए पात्र होगा, यद्यपि कारोबार को 1 वर्ष से कम के लिए पूरा किया गया है

(दूसरे शब्दों में, यदि एक एजेंसी का सकल बिल पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष से कम के अन्दर 25 लाख रुपए से अधिक है तो यह प्रत्यायन के लिए पात्र होगा।)

(v) प्रत्यायन प्रदान करने सम्बन्धी सूचना के प्राप्त होने के बाद 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी जुटाना।

(vi) वे पंजीकृत एजेंसियां जो अपने पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के अन्दर 25.00 लाख रुपये अथवा इससे ऊपर का सकल व्यवसाय अर्जित करने में असफल रहती हैं तो उन पर 2.00 लाख रुपए के "प्रतिमास औसत व्यवसाय" पर आधारित परिकलन लागू किया जाएगा। यह 13 महीनों में 26.00 लाख रुपए, 14 महीनों में 28.00 लाख रुपए तथा इत्यादि बैठता है। पंजीकरण की तारीख से महीनों का परिकलन किया जाएगा।

(vii) 5.00 लाख रुपए की बैंक गारंटी को स्वीकार करने के पश्चात प्रत्यायन प्रदान करने वाले महीने के बाद आने वाले महीने की पहली तारीख से प्रत्यायन प्रभावी होगा।

(viii) यदि कोई प्रत्यायित विज्ञापन एजेंसी दूरदर्शन के साथ 6.00 लाख रुपए का न्यूनतम वार्षिक व्यवसाय करने में असफल रहती है तो इसका प्रत्यायन रद्द किया जा सकता है।

(x) प्रत्यायित विज्ञापन एजेंसियां अपने वार्षिक लेखों को बन्द करने की तिथि के छः महीनों के अन्दर अधिकृत लेखाकार द्वारा उचित रूप से लेखा परीक्षित अपने लाभ तथा हानि लेखों को प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करेगी। मूल्यांकन को अंतिमरूप दिए जाने के एक महीने के अन्दर वे, पूर्व मूल्यांकन वर्ष के संबंध में आयकर मंजूरी प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगी। इन अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहने पर दूरदर्शन के साथ उनका प्रत्यायन समाप्त हो जाएगा।

**टिप्पणी**

मौजूदा प्रत्यायन विज्ञापन एजेंसियां 31.12.1994 तक प्रत्यायित रहेंगी तथा इनको वर्तमान में 1.00 लाख रुपए के स्थान पर 5.00 लाख रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, तभी वे निम्नलिखित शर्त पर प्रत्यायन के पात्र होंगी:—

विनियम 3.3, में उल्लिखित अपेक्षाओं को उनके द्वारा पूरा करने पर जैसी भी स्थिति हो।

4. **आवेदन**

(i) पंजीकरण/प्रत्यायन हेतु विज्ञापन एजेंसी द्वारा निम्नलिखित प्राधिकारियों को आवेदन किया जाना चाहिए:—

**(क) पंजीकरण हेतु आवेदन**

दूरदर्शन केन्द्र का निदेशक जिसके अंचल में विज्ञापन एजेंसी का मुख्य कार्यालय स्थित है।

**(ख) प्रत्यायन हेतु आवेदन**

(i) बिक्री नियंत्रक का कार्यालय, दूरदर्शन विज्ञापन सेवा, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, नई दिल्ली-110001.

(ii) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भेजे जाएंगे जो कि हर तरह से पूर्ण होने चाहिए तथा उनके साथ यथा आवश्यक कागजात संलग्न होने चाहिए।

(iii) ऐसे आवेदनों पर महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

5. **कमीशन तथा उधार**

(i) प्रत्यायित विज्ञापन एजेंसियों को प्रसारण की तिथि के बाद वाले महीने की प्रथम तारीख से 45 दिनों के उधार का अधिकार होगा।

(ii) दूरदर्शन की, ऐसी सारी राशि जिसका निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता, पर 18% वार्षिक की दर से ब्याज वसूलने का अधिकार होगा। भुगतान की लम्बित तिथि के बाद वाले दिन से ब्याज लगाया जाएगा तथा मासिक आधार पर इसकी गणना की जाएगी। यदि कोई प्रत्यायित एजेंसी एक वर्ष में तीन बार से अधिक अवसरों पर लम्बित तिथि तक अथवा उधार की अवधि की समाप्ति के बाद 45 दिनों के अन्दर मासिक बिलों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो स्वत: ही इसका प्रत्यायन समाप्त हो जाएगा।

(iii) प्रत्यायित विज्ञापन एजेंसियां, दूरदर्शन के साथ किए गए वास्तविक व्यवसाय पर 15% कमीशन की हकदार होंगी।

(iv) पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियां, दूरदर्शन के साथ किए गए वास्तविक व्यवसाय पर 15% कमीशन की हकदार होंगी। वे महानिदेशक द्वारा अधिसूचित बैंक/बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम रूप से विज्ञापन प्रभारों का भुगतान करेंगे। उक्त अधिसूचना जारी होने तक भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, संसद मार्ग, नई दिल्ली के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

6. **अन्य शर्तें**

(1) प्रत्यायन हेतु आवेदन करने वाली विज्ञापन एजेंसियों को योग्य स्टाफ नियमित विभाग अर्थात् कला, प्रतिलिपि एवं मीडिया सहित उपयुक्त रूप से सुसज्जित कार्यालय की व्यवस्था करनी होगी। दूरदर्शन को ग्राहकों की सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसमें कम से कम एक ग्राहक ऐसा होना चाहिए जो रेडियो, टेलीविजन अथवा प्रिन्ट मीडिया में राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन देता हो।

(2) किसी ऐसी एजेंसी को पंजीकरण/प्रत्यायन दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए जिसका एकमात्र स्वामी, कोई हिस्सेदार या निदेशक किसी विज्ञापक का वेतन भोगी कर्मचारी हो।

(3) किसी विज्ञापन एजेंसी को स्वीकृत कमीशन को उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कम्पनी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बांटा नहीं जाएगा।

(4) विज्ञापन एजेंसी द्वारा विज्ञापन एवं संबंधित बिलों का स्वयं या विज्ञापकों के साथ मिलकर भुगतान किया जाएगा।

(5) यदि विज्ञापन एजेंसी के किसी भागीदार/निदेशक/स्वामी कोई रिश्तेदार दूरदर्शन में कार्यरत हो तो इस तथ्य को विज्ञापन एजेंसी द्वारा घोषित किया जाएगा और उक्त कर्मचारी के साथ भागीदार/निदेशक/स्वामी की रिश्तेदारी का पूर्ण ब्यौरा दिया जाना अपेक्षित होगा।

7. महानिदेशक इन नियमों में समय-समय पर उचित संशोधन कर सकते हैं और इस प्रकार के संशोधन विज्ञापन एजेंसियों पर लागू होंगे।

**विद्यमान पंजीकृत एजेंसियां 31 दिसम्बर, 1994 तक वर्तमान निबंधनों के अनुसार अपना व्यापार जारी रख सकती हैं और तब तक उनके द्वारा 25,000/- रुपए की बैंक गारंटी अवश्य जमा कराई जानी चाहिए।

**Effect of ongoing war among Electronic Media Magnets on Doordarshan**

399. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a sort of war is going on among electronic media magnets;

(b) if so, how Doordarshan will be affected by it; and

(c) whether Government are planning to control foreign channels to protect the society from the foreign cultural invasion?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Competition amongst different satellite TV Channels is a global phenomenon.

(b) Doordarshan will be affected by such competition by way of reduced viewership and a decreasing share in the advertisement expenditure in the country.

(c) A broadcasting bill is proposed to be introduced in the current session of Parliament to meet this challenge.

**Coverage of Satellite T.V. Network in Bihar**

400. SHRI GYAN RANJAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether all the districts and important towns in the country have been brought under satellite T.V. relay network;

(b) if so, the details thereof;

(c) how many important towns and cities of Bihar have not been brought under the network; details thereof; and

(d) by when they are likely to be brought under the network?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Yes, Sir.

(b) The Satellite derived services of Doordarshan are available throughout the country by using an appropriate dish antenna system.

(c) and (d) Do not arise.

**Pay parity between the Engineering and Programme staff of AIR and Doordarshan**

401. SHRI P. SOUNDARARAJAN:
SHRI JOY NADUKKARA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to answer to Starred Question 367 given in the Rajya Sabha on 27.3.1996 and State:

(a) the present position of the pay-parity between the Engineering staff and programme staff of AIR and Doordarshan; and

(b) steps Government envisage to remove the anomaly?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) The issue of anomaly in the pay-scales between the Engineering Staff and the Programme Staff of AIR and Doordarshan was referred to the Ministry of Finance and the Vth Central Pay Commission. Since the recommendations of the Commission have already been submitted to the Ministry of Finance, the anomaly is expected to be resolved on the decision of the Government on the relevant recommendation of the Commission.

**Guidelines for Telecast of T.V. Programmes**

402. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to issue guidelines for telecasting programmes on T.V.;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have taken any action on these requests so far; and